POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 13.06.2026

1.थाना सेक्टर-20 व यातायात पुलिस द्वारा अवैध कफ सीरप की तस्करी करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 3600 शीशी अवैध कफ सीरप ONEREX 100 ML (अनुमानित कीमत करीब 7 लाख 25 हजार रुपये) व तस्करी में प्रयुक्त फार्च्यूनर गाड़ी बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 13.06.2026 को थाना सेक्टर-20 पुलिस व यातायात पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान नशे के रूप में प्रयोग हेतु ले जायी जा रही अवैध कफ सीरप की तस्करी करने वाले 02 अभियुक्त 1-पीयूष वर्मा पुत्र अनिल कुमार वर्मा 2-कपिल विश्वकर्मा पुत्र कृष्ण कुमार विश्वकर्मा को फिल्मसिटी से रजनीगंधा की ओर आने वाले रास्ते नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे पर उतरने वाले लूप से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से गाड़ी फार्च्यूनर रजि नं0 HR70D8898 में ले जायी जा रही 15 बोरों में 3600 शीशी अवैध कफ सीरप ONEREX 100 ML (जिसके प्रत्येक 5 एमएल में कोडीन फास्पेट की मात्रा 10 एमजी है) बरामद किया गया है। उक्त कफ सीरप को अधिक मात्रा में लेने पर नशे का अहसास होता है। अभियुक्तगण के अन्य साथी विष्णु कुशवाहा व शानू सिह निवासीगण मध्य प्रदेश व हीरा लाल (विक्रेता) की गिरफ्तारी हेतु प्रयास किये जा रहे है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

1. पीयूष वर्मा पुत्र अनिल कुमार वर्मा निवासी आजाद मार्ग घोघर, थाना सिटी कोतवाली, जिला रीवा, मध्य प्रदेश वर्तमान पता विन्द विहार कॉलोनी पडरा, जिला रीवा, मध्यप्रदेश उम्र करीब 25 वर्ष।
2. कपिल विश्वकर्मा पुत्र कृष्ण कुमार विश्वकर्मा निवासी ग्राम व पोस्ट तमरा वासी, थाना चौराहटा, जिला रीवा मध्य प्रदेश उम्र करीब 20 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

1. मु0अ0सं0 221/2026 धारा 8/21/23 एनडीपीएस एक्ट थाना सेक्टर-20, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

1. 15 बोरों में कुल 3600 शीशी अवैध कफ सीरप ONEREX 100 ML
2. घटना में प्रयुक्त 01 फार्च्यूनर गाड़ी रजि नं0 HR70D8898

2.थाना सेक्टर-63 पुलिस द्वारा फर्जी एयरलाइंस टिकट बुकिंग के नाम पर विदेशी नागरिकों के साथ साइबर धोखाधड़ी करने वाले 13 साइबर अपराधी गिरफ्तार, कब्जे से साइबर अपराध में प्रयुक्त 13 लैपटॉप, 16 मोबाइल फोन एवं अन्य डिजिटल उपकरण बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 13.06.2026 को थाना सेक्टर-63 पुलिस द्वारा संकलित तकनीकि अभिसूचना व लोकल इंटेलिजेंस के माध्यम से फर्जी एयरलाइंस टिकट बुकिंग के नाम पर विदेशी नागरिकों के साथ साइबर धोखाधड़ी करने वाले 13 साइबर अभियुक्तगण 1. रवि खुराना पुत्र राजेन्द्र खुराना 2. दीपक कुमार पुत्र श्रीकृष्ण गोपाल 3. शोभित दीक्षित पुत्र प्रदीप दीक्षित 4. दिलीप पाण्डेय पुत्र सुरेश चन्द्र पाण्डेय 5. शुभम चौधरी पुत्र स्व. अशोक चौधरी 6. साहिब चौहान पुत्र आँचल चौहान 7. रित्विक राय पुत्र जयंत राय 8. हिमांशु मलिक पुत्र अजय मलिक 9. प्रत्यक्ष शर्मा पुत्र इन्द्रदत्त शर्मा 10. जितेश कामरा पुत्र जोगेन्द्र कामरा 11. देव अग्रवाल पुत्र हिमांशु अग्रवाल 12. आरती पत्नी प्रदीप सिंह 13. स्वाती रागौर पुत्री रमेश रागौर को सेक्टर-63 से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्तगण के कब्जे से साइबर अपराध में प्रयुक्त 13 लैपटॉप, 16 मोबाइल फोन एवं अन्य डिजिटल उपकरण बरामद किए गए हैं।

घटना का संक्षिप्त विवरण-- अभियुक्तगण ट्रैवल एवं एयरलाइन टिकट बुकिंग सपोर्ट के नाम पर Google Ads और Facebook पर पेड विज्ञापन चलाकर अमेरिका एवं यूरोप के नागरिकों को निशाना बनाते थे। जब विदेशी नागरिक दिए गए नंबरों पर कॉल करते थे, तो कॉल उनके लैपटॉप में चल रहे डायलर सॉफ्टवेयर पर प्राप्त होती थी। इसके बाद अभियुक्त स्वयं को एयरलाइन या ट्रैवल एजेंसी का प्रतिनिधि बताकर कम कीमत पर टिकट दिलाने का झांसा देते थे और पीड़ितों से भुगतान तथा अन्य जानकारी प्राप्त कर लेते थे। भुगतान डॉलर में अंतरराष्ट्रीय पेमेंट गेटवे के माध्यम से लिया जाता था। कई मामलों में फर्जी टिकट भेज दिए जाते थे और कई बार टिकट जारी ही नहीं किए जाते थे। अधिकांश टिकट कई माह बाद की यात्रा के होते थे, जिससे धोखाधड़ी का पता देर से चलता था और तब तक अभियुक्त अपने नंबर व सिस्टम बदल लेते थे। बरामद 13 लैपटॉप, 16 मोबाइल फोन एवं अन्य डिजिटल उपकरणों की जांच में लगभग 10.50 लाख अमेरिकी डॉलर (करीब 10 करोड़ रुपये) के लेनदेन तथा विदेशी पीड़ितों का डेटा प्राप्त हुआ है, जिससे यह संगठित अंतरराष्ट्रीय साइबर धोखाधड़ी की पुष्टि होती है। अभियुक्तगण उच्च शिक्षित हैं तथा American एवं European accent में विदेशी नागरिकों से बात कर उन्हें विश्वास में लेकर शीघ्र अपने जाल में फंसा लेते थे।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण--

1. रवि खुराना पुत्र राजेन्द्र खुराना, उम्र 33 वर्ष, निवासी सेक्टर-16, रोहिणी, थाना सेक्टर-15, दिल्ली।
2. दीपक कुमार पुत्र श्रीकृष्ण गोपाल, उम्र 37 वर्ष, निवासी विकास नगर, थाना उना, (हिमाचल प्रदेश) वर्तमान पता रामदत्त एन्क्लेव, उत्तम नगर, दिल्ली।
3. शोभित दीक्षित पुत्र प्रदीप दीक्षित, उम्र 31 वर्ष, निवासी प्रेमनगर, थाना ताजगंज, आगरा वर्तमान पता पंचशील हाईनेस, थाना बिसरख, गौतमबुद्धनगर।
4. दिलीप पाण्डेय पुत्र सुरेश चन्द्र पाण्डेय, उम्र 34 वर्ष, निवासी न्यू मोतीनगर, थाना मोतीनगर, दिल्ली।
5. शुभम चौधरी पुत्र स्व. अशोक चौधरी, उम्र 31 वर्ष, निवासी ग्राम राजपुर, थाना राजपुर, सासाराम वर्तमान पता महिपालपुर, थाना वसंतकुंज, दिल्ली।
6. साहिब चौहान पुत्र आँचल चौहान, उम्र 23 वर्ष, निवासी रोहिणी सेक्टर-15, नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली।

7. रित्विक राय पुत्र जयंत राय, उम्र 25 वर्ष, निवासी सुसवानी, थाना रोहनिया, वाराणसी वर्तमान पता सेक्टर-73, थाना सेक्टर-113, गौतमबुद्धनगर।
8. हिमांशु मलिक पुत्र अजय मलिक, उम्र 29 वर्ष, निवासी ग्राम घनसूरपुर, थाना स्याना, बुलन्दशहर वर्तमान पता वसुंधरा, थाना इन्दिरापुरम, गाजियाबाद।
9. प्रत्यक्ष शर्मा पुत्र इन्द्रदत्त शर्मा, उम्र 24 वर्ष, निवासी लक्ष्मीनगर, थाना सगरपुर, दिल्ली।
10. जितेश कामरा पुत्र जोगेन्द्र कामरा, उम्र 35 वर्ष, निवासी नोएडा एक्सटेंशन, थाना बिसरख, गौतमबुद्धनगर।
11. देव अग्रवाल पुत्र हिमांशु अग्रवाल, उम्र 25 वर्ष, निवासी लक्ष्मीनगर, थाना शकरपुर, दिल्ली।
12. आरती पत्नी प्रदीप सिंह, उम्र 28 वर्ष, निवासी ग्राम धनौती, थाना शिवपुरा, बलिया वर्तमान पता मीठापुर, दिल्ली।
13. स्वाती रागौर पुत्री रमेश रागौर, उम्र 25 वर्ष, निवासी पाण्डव नगर, मयूर विहार फेस-1, थाना पाण्डव नगर, दिल्ली।

बरामदगी का विवरण--

1. साइबर अपराध में प्रयुक्त 13 लैपटॉप, 16 मोबाइल फोन
2. डिजिटल उपकरण- 01 राउटर, 10 माइक हैडफोन
3. कूटरचित दस्तावेज

3.थाना बीटा-2 पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 स्कॉर्पियो कार व अवैध शस्त्र बरामद।

घटना का संक्षिप्त विवरण-- अभियुक्त एक शातिर किस्म का अपराधी है, जो टेस्ट ड्राइव के बहाने धोखाधड़ी कर वाहन हड़प लेता है तथा गिरफ्तारी से बचने के लिए अवैध शस्त्र भी रखता है। दिनांक 10.06.2026 को अभियुक्त द्वारा वादी से स्कॉर्पियो कार टेस्ट ड्राइव के बहाने कुछ दूरी तक चलाकर ले गया, जिसके बाद वह कार को लेकर फरार हो गया। वादी द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना बीटा-2 पुलिस द्वारा तत्काल अभियोग पंजीकत करते हुए अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 13.06.2026 को थाना बीटा-2 पुलिस द्वारा मैनुअल इंटेलिजेंस व गोपनीय सूचना की सहायता से टेस्ट ड्राइव के बहाने स्कॉर्पियो कार लेकर वापस न करने वाले अभियुक्त सोनू पुत्र जतनपाल को जतन भाटी गोलचक्कर के पास से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से वादी की स्कॉर्पियो कार व 01 तमंचा मय 01 जिंदा कारतूस .315 बोर बरामद किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण--

1. सोनू पुत्र जतनपाल निवासी अलीनगर, थाना जहाँगीराबाद, बुलंदशहर।

पंजीकृत अभियोग व आपराधिक इतिहास का विवरण--

1. मु0अ0सं0 208/2026, धारा 316(2) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना बीटा-2, गौतमबुद्धनगर।

2. मु0अ0सं0 813/2019, धारा 379/411 भादवि, थाना दादरी, गौतमबुद्धनगर।
3. मु0अ0सं0 507/2026, धारा 406 भादवि, थाना दादरी, गौतमबुद्धनगर।
4. मु0अ0सं0 107/2020, धारा 414 भादवि, थाना इकोटेक-1, गौतमबुद्धनगर।
5. मु0अ0सं0 306/2022, धारा 379/411 भादवि, थाना जहाँगीराबाद, बुलन्दशहर।
6. मु0अ0सं0 307/2022, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना जहाँगीराबाद, बुलन्दशहर।
7. मु0अ0सं0 588/2022, धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट, थाना जहाँगीराबाद, बुलन्दशहर।
8. मु0अ0सं0 169/2025, धारा 379/411 भादवि, थाना खुर्जा नगर, बुलन्दशहर।
9. मु0अ0सं0 160/2020, धारा 406 भादवि, थाना नॉलेज पार्क, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

1. वादी की स्कॉर्पियो कार
2. 01 तमंचा मय 01 जिंदा कारतूस .315 बोर